न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/194/19	26–11–2019	10–12–2019

01. प्रमोद कुमार गुप्ता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ 1/6 भाग तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान) रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 07–10–2098 बाबत प्राधिकार पत्र निलम्बित

उपस्थितः–

01. श्री रामनिवास सैनी –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 07–10–2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलार्थी को सुने निलम्बित किया है। अपीलान्ट को ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ 1/6 भाग की राशन सामग्री उठाव एवं वितरण के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 585/91 जारी किया हुआ है। तहत अदालत ने आलोच्य आदेश बिना वजह निलम्बित कर दिया। प्रवर्तन अधिकारी की जाचं रिपोर्ट दिनांक 11.9.19 के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट मौके पर न बनाकर कार्यालय में बैठकर दुकान की जांच करने के 12 दिन के बाद मनगढत आरोप लगाते हुए राजनैतिक दबाव में आकर प्रस्तुत की गई है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र के विरूद्ध निलम्बित करने हेतु कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नही किया है। जांच रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है उसमें मासिक रिर्टन एवं यूनिट रजिस्टर नही रखने संबंधी तकनीकी गलती करने संबंधी आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया इसके बावजूद तहत अदालत द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निलम्बित कर दिया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 11 एवं राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 8 के विरुद्ध है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया न ही सुनवाई अथवा पक्ष रखने का कोई अवसर दिया गया, मात्र राजनैतिक दबाव में आकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में झूठा प्रकरण बनाकर कार्यवाही करते हुए मनमाने तथ्यों पर जांच रिपोर्ट एकतरफा में तैयार की गई। जांचकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं से भी पूछताछ की गई, जिसमें समस्त उपभोक्ताओं ने वितरण कार्य संतोषजनक होना बताया है तथा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई शिकायत नही है। अपीलार्थी द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को नियमानुसार सही रेट पर सही समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया गया है और राज्य सरकार के निर्देशोंनुसार उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुऐं किसी भी उपभोक्ता के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड लेकर आने पर पोस मशीन से फ्रिंगर प्रिंट लगवाकर राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा फेहरिस्त दस्तावेज मासिक रिर्टन प्रस्तुत की। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन

आदेश निलम्बित फरमाया जावें, एवं अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को है। जांच जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्देशानुसार की गई है। वक्त जांच अपीलार्थी द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये एवं यूनिट रजिस्टर का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं पाया गया और ना ही दुकान पर साफ–सफाई का अभाव पाया गया। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। वकील अपीलाण्ट का तर्क यह भी है कि अपीलार्थी की राजनैतिक दबाव में आकर रंजिश से की गई थी। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलार्थी वकील द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत की पत्रावली में कहीं ऐसा नहीं पाया गया कि अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किया गया हो और सुनवाई का मौका दिया गया हो, और ना ही उनके द्वारा पत्रावली में कोई प्रोसेडिंग लिखी गई है। प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई के अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करना प्रक्रियात्मक त्रुटि है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 07–10–2019 निलम्बित किया जाता है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 10–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)